(SHIVANI NAHAR)
Judicial Magistrate
Roorkee (Haridwar)

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम रूडकी, जिला हरिद्वार

प्रकीर्ण वाद संख्या : 473 / 2023
कम्प्यूटर नम्बर–597 / 2023
ठाकुर शिव मंगल सिंह बनाम् अमित अग्रवाल आदि

अन्तर्गत धाराः 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता,1973
थानाः कोतवाली रूडकी।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः श्री शमीम अहमद, प्रार्थी की ओर से।
दिनांकः 27.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शमीम अहमद को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर सुना। पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु नियत की गयी। है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि समिति के पूर्व अध्यक्ष विपक्षी संख्या–01 अमित अग्रवाल निवासी गीतांजलि विहार गणेशपुर रूडकी, जिला हरिद्वार पर शमशान घाट की समिति का चार्ज लगभग साढे तीन वर्ष जो वर्ष–2018 से दिनांक 13.09.2021 तक रहा। इस कार्यकाल के बीच मु0 9,93,378 / –रूपये समिति के पूर्व अध्यक्ष विपक्षी संख्या–01, अमित अग्रवाल द्वारा दान स्वरूप प्राप्त किये व शमशान घाट की कुल आमदनी के रूप में दर्शायी गयी है। इस दौरान विपक्षी संख्या–01, अमित अग्रवाल द्वारा मु0 9,62,072 / –रूपये का फर्जी खर्चा दिखाकर उपरोक्त धनराशि को हडप कर लिया है तथा बकाया राशि मु0 31,286 / –रूपये को बैक में दिखाया गया है। पूर्व अध्यक्ष विपक्षी संख्या–01, अमित अग्रवाल द्वारा दिखाया गया मु0 9,62,072 / –रूपये का खर्च का हिसाब किताब मांगने पर नई समिति को नहीं दिया जा रहा है। इस राशि का उपयोग शमशान घाट में नहीं किया गया तथा उपरोक्त धनराशि छलपूर्वक हडप कर ली गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या–01, अमित अग्रवाल की नेतृत्व वाली समिति द्वारा शमशान घाट की जमा राशि को खुर्द–बुर्द कर गबन लिया गया है जो कि एक बडा घोटाला व गम्भीर संज्ञेय अपराध है। शमशान घाट का हिसाब किताब मांगने पर विपक्षी संख्या–01, स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का मण्डल महामत्री बताते हुये रौब गालिब कर धमकी देता है कि इस मामले को मत छेडो वह उसका कुछ नहीं बिगाड सकते। पूर्व समिति द्वारा शमशान घाट की धनराशि जो उस पर बतौर अमानत थी उसका गबन कर लिया है। उपरोक्त घटना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। उक्त कृत्य एक गम्भीर अपराध है और शमशान घाट का पैसा गबन करने से घटिया कोई कार्य नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना की गयी कि

Sd
27/5/2023

Scanned with CamScanner

थाना कोतवाली रूडकी को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपना शपथ पत्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली रूडकी पर दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति मय मूल डाक रसीद, एक किता प्रार्थना पत्र ज्वाईट मजिस्ट्रेट रूडकी को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.02.2022, एक किता प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित, एक किता बैलेस शीट समिति दिनांक 29.08.2020, समाचार पत्र दिनांकि 26.04.2023 राष्ट्रीय सहारा एक किता, छायाप्रति समाचापर पत्र दैनिक जनवाजी आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली रूडकी से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रकरण के सम्बन्ध मे थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

5. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

6. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शमीम अहमद को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के संबंध में यह सु–स्थापित व्यवस्था है कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण के कम में मजिस्ट्रेट से मुकदमे से संबंधित असलियत या विश्वसनीयता के तथ्यों की जॉच करने की अपेक्षा नहीं की जाती, उसे केवल यह अवधारित करना है कि प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र की जॉच करने पर क्या संज्ञेय अपराध कारित किया गया है या नहीं, मजिस्ट्रेट की राय में यदि कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण और उसके अन्वेषण के लिये आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है।

8. न्यायालय के मत में उक्त अपराध संज्ञेय प्रकृति का प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र अनुसार कथित अपराध इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के भीतर हुया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथानुसार कथित अपराध में विपक्षी संख्या–01 द्वारा शमशान घाट की धनराशि मु0 9,62,072/–रूपये को छलपूर्वक हडपने का कथन किया गया है। उक्त उक्त तथ्य का निस्तारण पुलिस अन्वेषण के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली रूडकी पर दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति मय मूल डाक रसीद, एक किता प्रार्थना पत्र ज्वाईट मजिस्ट्रेट रूडकी को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.02.2022, एक किता प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित, एक किता बैलेस शीट

Scanned with CamScanner

समिति दिनांक 29.08.2020, समाचार पत्र दिनांकि 26.04.2023 राष्ट्रीय सहारा एक किता, छायाप्रति समाचापर पत्र दैनिक जनवाजी आदि प्रपत्र दाखिल दाखिल हैं।

9. प्रार्थी के उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है, जिसका अन्वेषण पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

नकल **आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में उचित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अन्वेषण करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति थानाध्यक्ष कोतवाली रूडकी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की (हरिद्वार)

Sd 27/5/2023

(शिवानी नाहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
रूड़की, जिला हरिद्वार।

दिनांकः–27.05.2023

प्रतिलिपि SHO कोत० रुडकी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम)
रुड़की (हरिद्वार)

Scanned with CamScanner